

12-5  
25

पत्रावली पेश। प्राची व वकील प्राची  
को बार-2 आवाज लगाई गई। बार-2  
आवाज लगाने के पश्चात भी प्राची  
व वकील प्राची न्यायालय में हाजिर  
नहीं आये। अतः प्राची का प्राचीना  
पत्र अन्तर्गत धारा 212, RTA अधिनियम  
हाजरी अधिनियम पैरवी में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फैसल नुमा  
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल  
दफ्तर है।

Signature

उपसचिव अधिकारी  
दातारामगढ़ (सीकर)